has agreed to intensify the existing contacts and communication links at the local level to facilitate action against insurgent arms traffickers and other negative elements.

राज्यों में मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाना

28. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सहित किसी राज्य ने ऐसा कोई आयोग स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके अधिकारों का क्षेत्र किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) अधिनियम की धारा 21 से 29 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में आधिकारिक प्रावधान हैं। राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग स्थापित करने की सलाह दी गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित कर लिए हैं। गुजरात की राज्य सरकार ने अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं किया है।

(घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अनुसार, किसी राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II और सूची-III में बताई गई किसी भी प्रविष्ट से संबद्ध मामलों तक ही सीमित है।

ULFA Ultras activities in West Bengal

29. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-items appreared in the 'Hindustan Times' New Delhi dated the 11th April, 1998 under the caption "Calcutta emerges ULFA hide out for Arms Purchase";

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) the action being taken by Government of prevent the ultras taking shelter in West Bengal?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Madam.

(b) and (c) The Central Government remains in close contact with the State Government of West Bengal to ensure that insurgent groups do not use the State for anti-national activities. State Police and intelligence agencies have been instructed to, remain vigilant in this regard.

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

30. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध जन-शिकायतों की ठोस सुनवायी से संबंधित "पुलिस शिकायत प्राधिकरण" का मामला लम्बे समय से सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या उक्त योजना को सैद्धान्तिक सहमति दिसम्बर, 1996 में दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुए विलम्ब का क्या कारण है और प्राधिकरण बनाने के मामले पर सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था के बारे में 2 अगस्त, 1996 को राज्य सभा में वक्तव्य देते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली पुलिस के सदस्यों की लापरवाहियों और ज्यादतियों के खिलाफ जन शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्राधिकरण के ढांचे, स्वरूप, कार्यक्षेत्र इत्यादि की संकल्पना के लिए कदम उठाए गए है। यह एक समय लगने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अर्न्तग्रस्त कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर बार-बार अन्तर मंत्रालयीय परामर्श करना पड़ता है। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्तमान लोक

शिकायत आयोग के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का विचार भी चलाया गया ताकि दिल्ली पुलिस को उसके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाये। यह नवीनतम प्रस्ताव विचारण की अग्रिम अवस्था में है और इस मामले पर जल्दी ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

तिब्बती अनशनकारियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किया जाना

31. **श्री ईश दत्त यादवः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सोमवार, 27 अप्रैल को जन्तर-मन्तर पर धरने पर बैठे तिब्बती अनशनकारियों पर पुलिस कार्यवाही किसी दबाव के कारण या किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए की गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो कार्यवाही के लिए उक्त तिथि को ही चुनने के क्या कारण थे और उस कार्यवाही में एक अनशनकारी की हुई मृत्यु तथा उस घटना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) 6 तिब्बती राष्ट्रिक 10 मार्च, 1998 से जन्तर-मन्तर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए, एक चिकित्सा दल ने 25 अप्रैल, 1998 को उनकी जांच की और सिफारिश की कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती किया जाए। पुलिस, भूख हड़ताल पर बैठे 6 व्यक्तियों में से केवल तीन को ही 25 अप्रैल, 1998 को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जा सकी। भूख हड़ताल पर बैठे शेष तीन व्यक्तियों की एक डाक्टर द्वारा 27 अप्रैल, 1998 को पुनः जांच की गयी जिन्होंने दोहराया कि उन्हें तुरन्त अस्पताल में भर्ती करना होगा। जब एक पुलिस दल, भूख हड़ताल पर बैठे उन तीन व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के प्रयास में उन्हें जबरन ले जा रही थी तो एक तिब्बती राष्ट्रिक, जिसको बाद में थुपतेन नगुदुप उर्फ डबू-डबू के रूप में शिनाख्त की गयी, घटना स्थल के नजदीक शौचालय से आग की लपटों में घिरा हुआ अचानक बाहर आया। पुलिस ने कम्बल का प्रयोग करके लपटों को बुझाया और उसे भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। श्री थुपतेन नगुदुप 95% जल चुके थे और 28-29 अप्रैल, 1998 की रात को उन्होंने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया।

Assistance to the Dependents of Terrorist Victims

32. SHRI VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the details of help given to dependents of the victims of the recent murders by terrorists in Western Uttar Pradesh, Punjab and Jammu;

(b) whether it is a fact that the police protection given to some of the including the winners of a Shaurya Chakra Award from the President, has been withdrawn; and

(c) what are the steps taken by Government to protect such citizens and their families?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Encroachments by SPOs in South West District

33. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of complaints received during the period from the 1st January, 1996 to 31st August, 1997 by the Deputy Commissioner of Police (South-West district) from Area Welfare Association of the areas under his jurisdiction regarding involvement of Special Police Officers of their family members in encroachments and unauthorised expansion;

(b) if so, the action taken on each of the complaints against the involved Special Police Officers by the DCP (SW);

(c) whether it is a fact that instead of taking any action against such SPOs or the encroachments, these SPOs were allowed to continue till date; and

(d) if so, the reasons in each case?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) The Delhi Police have reported that no such complaint during the period in question was received in the South-West district.